

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 31 मई, 2016

आय-कर

का.आ. 1423 (अ).-- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 200 के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2016 है ।
(2) ये 1 जून, 2016 से प्रवृत्त होंगे ।
2. आय-कर नियम, 1962 में, नियम 29(ख) में, नियम 31क में, उपनियम 4(क) में "सात दिन" शब्दों के स्थान पर "तीस दिन" शब्द रखे जाएंगे;

(अधिसूचना सं. 39 /2016, फा.सं.142/29/2015-टीपीएल)

लक्ष्मी नारायणन

(आर.लक्ष्मी नारायणन)

अवर सचिव, (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 3, उपखंड (ii) में, अधिसूचना सं. का. आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 1655 (अ), तारीख 05/05/2016, द्वारा किया गया था ।